न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : नानू राम सैनी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. 75/2022

अपीलार्थी– **बनाम** **उत्तरदातागण–**

अपीलार्थी–

1. बालाराम पुत्र मंगलाराम फौत के कायम मुकाम,
   1. आसुराम पुत्र बालाराम
   2. तगाराम पुत्र बालारात
   3. रणछाराम पुत्र बालाराम
   4. तेजाराम पुत्र बालाराम फौत के कायम मुकाम
      - 4/1 प्रभुराम पुत्र तेजाराम
      - 4/2 वीरों देवी पत्नी तेजाराम
      - 4/3 कनकु चौधरी पुत्री तेजाराम
   5. मिरगों पत्नी बालाराम

   जाति जाट निवासी बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बालोतरा।

बनाम

उत्तरदातागण–

1. दौलाराम पुत्र खेमाराम
2. जीयाराम पुत्र खेमाराम
3. चेनाराम पुत्र खेमाराम
4. कलाराम पुत्र खेमाराम
5. खरथाराम पुत्र खेमाराम
6. पारू देवी पत्नी खेमाराम फौत के कायम मुकाम उतरदाता संख्या 1 से 5 उपर वर्णितानुसार जाति जाट, निवासी बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बालोतरा।
7. शाखा प्रबंधक, ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा बायतु
8. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा बायतु
9. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर वर्तमान स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बायतु।
10. तहसीलदार बायतु।

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक – शिविर/2004/229 दिनांक 22.12.2004 तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री रिणछा राम सियाग, अधिवक्ता अपीलांटगणगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता उतरदातागणगण संख्या 1 से 4 की ओर से अनुपस्थित। शेष उतरदातागणगण अनुपस्थित।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

आदेश

दिनांक : –

1. पत्रावली पेश हुई। अपीलांटगण के अधिवक्ता उपस्थित। उतरदातागण संख्या 01 से 04 के अधिवक्ता अनुपस्थित। उतरदातागण संख्या 05 व 10 बाद नोटिस तामिल के अनुपस्थित। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण है कि अपीलांटगण व उतरदातागण संख्या 01 से 06 जिनका संयुक्त खातेदारी तहसीलद बायतु के मौजा लीलाला पटवार हल्का बायतु पनजी के खेत खसरा संख्या 77 संयुक्त रकबा 112 बीघा 16 बिस्वा व मौजा बायतु पनजी पटवार हल्का बायतु पनजी के खेत खसरा संख्या 503, 504, 505, 506, 506/4 रकबा क्रमशः 0.11 बीघा, 0.17 बीघा, 1.04 बीघा, 273.10 बीघा व 18.12 बीघा कुल रकबा 294 बीघा 14 बिस्वा एवं मौजा माहिंगाणी मूढ़ों की ढ़ाणी पटवार हल्का बायतु पनजी के खेत खसरा संख्या 407 रकबा 01.04 बीघा में अवस्थित है। जो कि अपीलांटगण व उतरदातागण संख्या 01 से 06 की पैतृक व संयुक्त खातेदारी है। उतरदातागण संख्या 01 से 06 ने अपीलांटगण को वादग्रस्त आराजी का मौके पर कब्जा व पूर्व में किये गये बाहामी बंटवारा अनुसार राजस्व रेकर्ड में विभाजित करवाने हेतु प्रस्ताव रखा तथा प्रशासन गांवों के संग शिविर 2004 में बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलांट ने विश्वास कर सहमति जाहिर की गई। जिस पर हल्का पटवारी द्वारा उक्त नक्शा तैयार करते समय मौका कब्जा का ध्यान नहीं रखा गया और विभाजन प्रस्ताव पारित करवा दिया गया जो कि अपीलांटगण व उतरदातागण संख्या 01 व 06 की संयुक्त खातेदारी की भूमि का बंटवाड़ा तहसीलदार बायतु के आदेश क्रमांक – शिविर/2004/229 दिनांक 22.12.2004 को पारित किया गया।

2. इस न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि का राजस्व रेकर्ड प्राप्त करने हेतु मिसल चिटठ्ी लिखी गई और उतरदातागण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उतरदातागण संख्या 01 से 04 की ओर से अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी व कुम्भसिंह ने वकालतानामा पेश किया गया तथा शेष उतरदाता संख्या 05 से 10 जो बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहे है

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

आतेरिक्त जिला कलेक्टर बालोतरा

एवं अधिवक्ता उतरदातागण संख्या 01 से 04 भी बावजूद सूचना जरिये कॉज लिस्ट लगातार अनुपस्थित रहे है।

3. अधिवक्ता अपीलांटगण की बहस सुनी गई अधिवक्ता अपीलांटगण ने दौराने बहस अवगत कराया कि दो या दो से अधिक सहखातेदारान के मध्य कृषि भूमि का विभाजन किया जाने पर मौके पर भूमि की उर्वरा स्थिति, पक्षकारों का कब्जा काश्त, ढ़ाणियों व विनिर्माण तथा किसी पक्षकार को हिस्से से अनावश्यक दिक्कतें उत्पन्न न हो का ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है एवं आवागमन हेतु रास्ते को ध्यान में रखकर मौका देखा जाकर आदेश तदनुसार पारित करना होता है, परन्तु अपीलाधीन आदेश पारित करते समय तहसीलदार बायतु ने विधि के प्रावधानों व प्रक्रिया को अनदेखा कर विधिक भूल से उक्त अपूर्ण व शून्य निर्णय पारित किया जिसके कारण पक्षकारान को अपूरणीय क्षति हुई है। अधिवक्ता ने अपनी बहस को आगे जारी रखते हुए निवेदन किया है कि अपीलांट बालाराम के वयोवृद्ध एवं अनपढ़ होने का नाजायज फायदा उठाते हुए उतरदाता संख्या 01 से 04 ने हल्का पटवारी से गलत विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा तैयार करवाकर उस पर अपीलांट के व अन्य अनपढ़ खातेदारान के अंगुष्ठ निशान करवाकर उक्त गलत व अपीलांटगण के प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध जाकर एकपक्षीय व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकुल आदेश पारित करवाया गया, ऐसा आदेश अपूर्ण होने काबिल खारिज है।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

अपीलांट के वयोवृद्ध व अनपढ़ होने के कारण उन्होंने उतरदातागण 01 से 04 पर विश्वास कर उसके कहे अनुसार कागजात पर अंगुष्ठ निशान किये तथा अपीलांटगण की बिना जानकारी के गलत रूप से विभाजन हेतु तरमीम का नक्शा दर्शाया गया है। जिसके बारे में अपीलांटगण को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। अपीलाधीन आदेश अपीलांटगण व उतरदातागण संख्या 01 से 06 के मध्य पूर्व में हुए बाहमी बंटवाड़ा से पूरी तरह भिन्न व विपरित है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता है और मौके पर रास्ते का उपयोग होने के बावजूद तरमीम में रास्ता नहीं दर्शाया गया है, सड़क पर स्थित भूमि अकेले उतरदातागण

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

संख्या 01 से 06 ने अपने हिस्से में रख रखी है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश खारिज योग्य है। अतः तहसीलदार बायतु द्वारा पारित आदेश क्रमांक – शिविर / 2004 / 229 दिनांक 22.12.2004 को अपास्त कर पत्रावली को पुनः नये सिरे से बंटवाड़ा करवाने के लिए तहसीलदार बायतु को प्रेषित की जावे।

4. हमनें अधिवक्ता अपीलांटगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि मय नजरी नक्शा की प्रमाणित प्रति एवं मूल बंटवाड़ा आदेश की पत्रावली को ध्यान में रखते हुए तथा पत्रावली के गहन अध्ययन उपरांत पाया कि मौजा मौजा लीलाला पटवार हल्का बायतु पनजी के खेत खसरा संख्या 77 संयुक्त रकबा 112 बीघा 16 बिस्वा व मौजा बायतु पनजी पटवार हल्का बायतु पनजी के खेत खसरा संख्या 503, 504, 505, 506, 506 / 4 रकबा क्रमशः 0. 11 बीघा, 0.17 बीघा, 1.04 बीघा, 273.10 बीघा व 18.12 बीघा कुल रकबा 294 बीघा 14 बिस्वा एवं मौजा माहिंगाणी मूढ़ों की ढ़ाणी पटवार हल्का बायतु पनजी के खेत खसरा संख्या 407 रकबा 01.04 बीघा भूमि का बंटवाड़ा आदेश दिनांक 22.12.2004 को पारित किया गया था जिसकी पालना में राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में बंटवाड़ा आदेश को अमलदरामद किया गया था। चूंकि अपीलांटगण की मुख्य आपत्ति है, कि बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति समानान्तर होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें। अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाकर मौके पर कब्जा काश्त स्थिति एवं राजस्व रेकर्ड अनुसार बंटवाड़ा चाहता है। ऐसी सूरत में अपीलांटगण की अपील का निस्तारण किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

न्यायालय अपर कलेक्टर बालोतरा (राज.)

लिहाजा अपीलांटगण की अपील अन्दर म्याद शुमार कर आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार बायतु के आदेश क्रमांक – शिविर / 2004 / 229 दिनांक 22.12.2004 को अपास्त किया जाता है और प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ तहसीलदार बायतु को प्रति प्रेषित किया

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

जाता है कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त अुनसार एवं हिस्सा अनुसार सभी पक्षकारो की उपस्थिति में भूमि का विभाजन आदेश एवं नक्शे में अंकित करते हुए पुनः विधिवत नये सिरे से आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

(नानू राम सैनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा